(21) 12-9-19

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **166**/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि॰, रजिस्टर्ड आफिस 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर एवं ए यू स्कवायर बी–11 –ई, मालवीय नगर इण्डिस्टीज एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद सैनी पुत्र लक्ष्मीनारायण सैनी
2. श्रीमती कृष्ण देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद सैनी
   निवासी कोथला की ढाणी, ग्राम किराडोद, तहसील कोटपूतली, प्रागपुरा, जयपुर ।
3. लक्ष्मीनायण पुत्र भूरालाल सैनी
   निवासी 102, कोथला की ढाणी, ग्राम किराडोद, तहसील कोटपूतली, प्रागपुरा, जयपुर एवं खसरा नम्बर 521/3, ग्राम किराडोद तहसील कोटपूतली जयपुर
4. महेश कुमार सैनी पुत्र कान्हा राम सैनी
   निवासी 102, कोथला की ढाणी, ग्राम किराडोद, तहसील कोटपूतली, प्रागपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 12-9-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.08.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 521/3, ग्राम किराडोद, तहसील कोटपूतली, प्रागपुरा, जिला जयपुर (सम्परिवर्तित भूमि) क्षेत्रफल 479 वर्गगज को बन्धक रख कर 8,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.03.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नव ज्योति में दिनांक 20..04.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी लक्ष्मीनारायण सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 521/3, ग्राम किराडोद, तहसील कोटपूतली, प्रागपुरा, जिला जयपुर (सम्परिवर्तित भूमि) क्षेत्रफल 479 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 12-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर